

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
580	ता.प्र.सं.280 (क्र.5074) दि.17.03.2015 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	प्रदेश में डी.पी.एच.एन.ओ. एवं प्राचार्य के रिक्त पदों की पूर्ति नर्सिंग संवर्ग से राजपत्रित श्रेणी किया जाना ।	(1) सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है । (2) डी.पी.एच.एन.ओ. के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है ।		
581	परि.अता.प्र.सं.104 (क्र.2313) दि.04.03.2015 (श्री जीतू पटवारी)	प्रदेश के 21 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन/अधीक्षकों द्वारा दवा प्राप्त करने के उपरांत तत्समय प्रभावी निर्देशों का पालन न करते हुये नियम विरुद्ध दवाईयों को लैब में टेस्ट करवाये बिना रोगियों को वितरित करने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।		
582	अता.परि.प्र.सं.09 (क्र.174) दि.04.03.2015 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय पर निवास नहीं करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना एवं स्वास्थ्य केन्द्र के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपरियापान में पदस्थ डॉ.सारिका दुबे के मुख्यालय पर निवास न करने के संबंध में शिकायत पाई गई है । जांच की कार्यवाही प्रचलन में है । दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । (2) जी हां ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

राजस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
583	ता.प्र.सं.50 (क्र.1204) दि.02.03.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेवाड़ा अंतर्गत अपात्रों की भूमि का पट्टा वितरण किये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही किया जाना।	शेष पट्टेधारियों के संबंध में जांच की जा रही है। पट्टेधारकों को विधिवत अवसर दिये जाने के बाद यदि पट्टा अवैध पाया जाता है तो नियमानुसार पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।		
584	परि.अता.प्र.सं.81 (क्र.2017) दि.13.03.2015 (श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर)	खण्डवा जिले की पंधाना विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिया जाना।	योजनान्तर्गत मौसम रबी 2013-14 व खरीब 2014 के क्षतिपूर्ति दावों की गणना प्रक्रियाधीन है।		
585	परि.अता.प्र.सं.152 (क्र.3290) दि.13.03.2015 (श्री राम लल्लू वैश्य)	गैर शासकीय संस्थाओं को शासकीय भूमि आवंटन किये जाने की नीति बनाया जाना।	समिति की अनुशंसा उपरांत नीति बनाई जावेगी।		
586	अता.प्र.सं.61 (क्र.1517) दि.02.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 22.10.2009 को आदेशानुसार तहसीलदारों के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच एक वर्ष के भीतर निराकृत कर नियमानुसार पदोन्नति की जाना।	विभागीय जांच समाप्त होने के बाद नियमानुसार पदोन्नति दी जावेगी।		
587	अता.प्र.सं.299 (क्र.5308) दि.20.03.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले में पदोन्नति समिति की बैठक कर रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

सहकारिता विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
588	परि.अता.प्र.सं.47 (क्र.1146) (दि.18.03.2015) (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	सहायक पंजीयक गुना कार्यालय से प्राप्त शिकायती पत्र पर वहां पदस्थ अपात्र संचालक एवं बैंक प्रतिनिधि पद से हटाये जाने की कार्यवाही संबंधी।	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अशोकनगर के द्वारा श्रीमती उमा देवी को संचालक एवं बैंक प्रतिनिधि पद से हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।		
589	परि.अता.प्र.सं.269 (क्र.4919) दि.18.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	भोपाल के तत्कालीन उप आयुक्त श्री अशोक मिश्रा द्वारा प्रावधान के विपरीत सहकारी समितियों को भूमि विक्रय करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाना।	जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
590	परि.अता.प्र.सं.270 (क्र.4920) दि.18.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	एस.बी. पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के पदाधिकारियों द्वारा ग्राम बागसेवनिया में संस्था के सदस्यों के लिए क्रय की गई 12.72 एकड़ आवासीय भूमि खुरद-बुर्द किये जाने की जांच एवं दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	रिकार्ड उपलब्ध होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
591	अता.प्र.सं.217 (क्र.4314) दि.18.03.2015 (श्री हर्ष यादव)	शहीद स्मृति सहकारी आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था ग्वालियर में अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	(1) श्री आर.के.वाजपेयी, उप आयुक्त, सहकारिता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है। (2) जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
592	अता.प्र.सं.272 (क्र.4925) दि.18.03.2015 (श्री आरिफ अकील)	एस.बी. पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा नियम विरुद्ध गैर पुलिसकर्मियों को सदस्य बनाये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	रिकार्ड उपलब्ध होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
593	परि.अता.प्र.सं.108 (क्र.2441) दि.16.03.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन जिले की तहसील उज्जैन, घट्टिया, तराना, महिदपुर, बड़नगर, नागदा एवं खाचरोद में पुजारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाना।	रिक्त पदों पर कार्यवाही प्रचलित है।		
594	अता.प्र.सं.52 (क्र.1249) दि.16.03.2015 (डॉ.मोहन यादव)	महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन किये जाने एवं मंदिर प्रबंध समिति में सांसद एवं विधायकों को सम्मिलित किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन को पत्र क्र. दिनांक 21.08.2014 द्वारा दिये गये निर्देशों का यथाशीघ्र पालन किया जाना।	(1) जी हां। (2) कार्यवाही विचाराधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
 (फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

खनिज साधन विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
595	ता.प्र.सं.54 (क्र.1281) दि.22.03.2015 (श्री आर.डी.प्रजापति)	छतरपुर जिले की चन्दला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नियम विरुद्ध संचालित केशर प्लांट के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	06 शिकायतें प्राप्त हुई, इनमें से 03 शिकायतों की जांच पूर्ण हो चुकी है तथा शेष में कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
596	अता.प्र.सं.79 (क्र.1937) दि.25.02.2015 (श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)	अनूपपुर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं में हितग्राहियों के लंबित प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण किया जाना।	बैंको में सम्पर्क कर लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
597	परि.अता.प्र.सं.127 (क्र.2831) दि.18.03.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की लहार तहसील अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	तथ्यों की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।		
598	परि.अता.प्र.सं.236 (क्र.4607) दि.18.03.2015 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	कटनी जिले में राशन कार्ड से अधिक सामग्री आवंटन की निश्चित समय-सीमा में पूर्ण न कराये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पूर्ण न होने के कारण पुनः जांच कराई जा रही है। दिए गए आवंटन के संबंध में की गई जांच के परीक्षणोपरांत प्राप्त शिकायत की पुनः जांच कराई जा रही है।		
599	अता.प्र.सं.246 (क्र.4707) दि.18.03.2015 (श्रीमती रेखा यादव)	छतरपुर जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान/उपभोक्ता भण्डारों में निरीक्षण किये जाने के दौरान अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर छतरपुर के निर्देशानुसार संबंधितों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना।	शासकीय उचित मूल्य दुकान गुलाट, प्रतापपुरा एवं छत्रसाल उपभोक्ता भण्डार छतरपुर के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
 (फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
600	ता.प्र.सं.137 (क्र-2973) दि.19.03.2015 (श्री प्रह्लाद भारती)	शिवपुरी जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पोहरी के SC/ST एवं OBC वर्ग के छात्र/छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदाय न किये जाने की जांच एवं पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदाय किया जाना।	(1) जी हां. जांच की जा रही है। (2) शीघ्र ही पात्र प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय की जा सकेगी।		
601	अता.प्र.सं.233 (क्र.4497) दि.19.03.2015 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया जिले के सेवदा वि.स. क्षेत्र में आई.टी.आई. खोला जाना।	संशोधित कौशल विकास नीति अनुसार आईटीआई खोलने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।		
602	अता.प्र.सं.259 (क्र.4845) दि.19.03.2015 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा सागर जिले में क्षेत्रिय एवं नोडल कार्यालय शुरू किये जाना।	प्रस्ताव विचाराधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
 (फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
603	अता.प्र.सं.145 (क्र.3134) दि.16.03.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिला अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग के लिए आवंटित भूमि पर उद्योग स्थापित न कर नियमानुसार उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि पर आधिपत्य प्राप्त किया जाना।	विभाग द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने हेतु नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
 (फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

चिकित्सा शिक्षा विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
604	ता.प्र.सं.151 (क्र.3280) दि.17.03.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में वर्ष 2013 में मेरोपेनम इंजेक्शन सी.पी.सी. से स्वीकृत कंपनी से न क्रय कर अन्य कंपनी से क्रय कर आर्थिक अनियमितता किये जाने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन के परीक्षणोपरांत गुणदोष के आधार पर दोषी पाये जाने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

सामान्य प्रशासन विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
605	ता.प्र.सं.153 (क्र.3331) दि.12.03.2015 (श्री मुकेश नायक)	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन के पद पर तीन बार संविदा नियुक्ति दिये जाने की शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त शिकायत पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर उसका परीक्षण किया जा रहा है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

महिला एवं बाल विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
606	अता.प्र.सं.204 (क्र.4090) दि.13.03.2015 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	राजगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कंवरपुरा में आंगनवाड़ी केन्द्र के निर्माण में अनियमितताओं की जांच एवं संबंधित दोषी के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाना।	राजगढ़ के तत्कालीन सरपंच के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

गृह(पुलिस) विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
607	अता.प्र.सं.223 (क्र.4355) दि.20.03.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	मंदसौर जिले में निर्भया केन्द्र प्रारंभ किया जाना ।	मंदसौर जिले में निर्भया केन्द्र आरंभ होना प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(फरवरी-मार्च, 2015 एवं जून-जुलाई 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
608	परि.अता.प्र.सं.229 (क्र.4433) दि.18.03.2015 (श्री बाला बच्चन)	रायसेन जिले की जनपद पंचायत बेगमगंज में मनरेगा योजना में एक ही कार्य का दो बार भुगतान किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करने की कार्यवाही की जा रही है।		
609	परि.अता.प्र.सं.275 (क्र.5019) दि.18.03.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना।	निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रचलित है।		
610	परि.अता.प्र.सं.276 (क्र.5022) दि.18.03.2015 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, किचिन शेड, वाटर शेड, जी.एस.बी मार्ग, पुलिया के स्वीकृत निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण न किया जाना एवं मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण करने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।	मूल्यांकन से अधिक राशि आहरण होने पर जिम्मेदार अधिकारियों सचिव/सरपंच पर कार्यवाही की जावेगी।		
611	अता.प्र.सं.03 (क्र.612) दि.30.06.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	विभाग में आदिम जाति कल्याण विभाग से आपसी अदला-बदली (प्रतिनियुक्ति) में पदस्थ विकासखंड अधिकारी की बिना नियम/निर्देश के हुई पदोन्नति की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही।	पदोन्नति बाबत सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र.) से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। परामर्श अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
(दिसम्बर, 2014 एवं जून-जुलाई, 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

वन विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
612	अता.प्र.सं.04 (क्र.899) दि.10.12.2014 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास एवं रायसेन जिले में पेयजल समस्या ग्रस्त ग्रामों के अपूर्ण कार्य को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना।	वर्ष 2014-15 के कार्य दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण कराये जायेंगे।		
613	परि.अता.प्र.सं.01 (क्र.09) दि.03.07.2014 (श्री कैलाश चावला)	गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में मनासा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम करणपुरा, तहसील रामपुरा के विस्थापितों का पुर्नवास एवं मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना।	(1) पुनर्वास संबंधी दिये गये निर्देशानुसार मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रचलित है। (2) दि.20.04.2013 से अधिकृत किया गया, जिसके आधार पर मुआवजा वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
खण्ड 4 जुलाई, 2015 सत्र में पटलित आश्वासनों की सूची
 (दिसम्बर, 2014 सत्र के पूर्ण उत्तर दिनांक 21.07.2015 को पटलित)

भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
614	अता.प्र.सं.06 (क्र.1382) दि.12.12.2014 (डॉ.गोविन्द सिंह)	गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग की अधीनस्थ इकाई में अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण, क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं समयमान का लाभ दिया जाना ।	सामान्य प्रशासन/वित्त विभाग के नियम एवं निर्देशों के अनुरूप लाभ दिया जावेगा ।		